इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2014—भाद्र 28, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. ई-5-373-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री स्वर्णमाला रावला, भाप्रसे (1980) को दिनांक 21 से 30 जुलाई 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री स्वर्णमाला रावला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई.-5-448-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुरंजना रे, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती सुरंजना रे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विश्वमोहन उपाध्याय, भाप्रसे विकअ-सह-आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरंजना रे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

(4) श्रीमती सुरंजना रे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुरंजना रे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरंजना रे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-845-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. जैन, आय.ए.एस., अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 27 जून से 25 जुलाई 2014 तक उनतीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-289-2014-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. ई-1-289-2014-5-एक, दिनांक 16 अगस्त 2014 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 12, जिसके द्वारा श्री एस. बी. सिंह, भाप्रसे (1993), कमिश्नर, भोपाल संभाग भोपाल को सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग पदस्थ किया गया है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) उक्त आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2014 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 14, जिसके द्वारा श्री आर. के. माथुर, भाप्रसे (1995) कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल पदस्थ किया गया है, को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए श्री आर. के. माथुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. ई-1-289-2014-5-एक.—श्री मनोज श्रीवास्तव, भाप्रसे (1987) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक न्यासी सचिव, भारत भवन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा न्यासी सचिव, भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं न्यासी सचिव, भारत भवन (अतिरिक्त प्रभार) केवल न्यासी सचिव, भारत भवन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. ई-5-794-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रघुराज एम. आर., आयएएस., कलेक्टर जिला सिंगरौली को दिनांक 19 अगस्त से 12 सितम्बर 2014 तक पच्चीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री रघुराज एम. आर. की अवकाश अवधि में श्री दिलीप कुमार, अपर कलेक्टर, सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला सिंगरौली का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रघुराज एम. आर. द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिलीप कुमार कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2014

क्र. ई-5-457-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 1 से 6 सितम्बर 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 अगस्त 2014 एवं 7 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कंचन जैन द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह, उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2014

क्र. ई. 5-825-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस, तत्का. कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2014 द्वारा दिनांक 2 से 13 जून 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 19 जून 2014 तक अठारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2014 अनुसार यथावत्.

क्र. ई-5-837-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस., अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 21 से 28 जुलाई 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 19, 20 एवं 29 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. ई.-1-300-2014-5-एक.—भारत सरकार में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री डी.के. सामंतराय, भाप्रसे (1982) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री डी.के. सामंतराय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी एवं ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मंडल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई.-5-676-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विश्वमोहन उपाध्याय, आयएएस., विकअ-सह-आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 25 अगस्त से 6 सितम्बर 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री विश्वमोहन उपाध्याय, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री जे.एन. मालपानी, भाप्रसे, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विश्वमोहन उपाध्याय, द्वारा विकअ-सह-आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे.एन. मालपानी, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वमोहन उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. ई.-1-294-2014-5-एक.—श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे, (1995) आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा निदेशक, जनगणना, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-5-845-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के.सी. जैन, आयएएस., अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 28 जुलाई से 11 अगस्त 2014 तक पन्द्रह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री के.सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के.सी. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-1-303-2014-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री अशोक कुमार सिंह (2000), कलेक्टर, कटनी.	कलेक्टर, सागर
2	श्री डी.डी. अग्रवाल (2002), कलेक्टर, आगर-मालवा.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3	श्री मधुकर आग्नेय (2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी.	कलेक्टर, भिण्ड
4	श्री विनोद कुमार शर्मा (2004), कलेक्टर, भिण्ड.	कलेक्टर, आगर-मालवा.
5	श्रीमती जी.व्ही. रश्मि (2005), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	कलेक्टर, नीमच
6	श्री विकास नरवाल (2008), कलेक्टर, नीमच.	कलेक्टर, कटनी
7	श्री गणेश शंकर मिश्रा (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा (कनिष्ठ वेतनमान).	अपर कलेक्टर, हरदा (कनिष्ठ वेतनमान).
8	श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचयत, हरदा (कनिष्ठ वेतनमान).

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्र. ई.-5-736-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरुण कुमार भट्ट, आयएएस., सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 3 से 8 सितम्बर 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरुण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-947-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को दिनांक 18 फरवरी 2014 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-793-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. संजय गोयल, आयएएस., कलेक्टर जिला रतलाम को दिनांक 25 से 30 सितम्बर 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. संजय गोयल की अवकाश अवधि में श्री अर्जुन सिंह डाबर, राप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. संजय गोयल द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अर्जुन सिंह डाबर, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय गोयल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-525-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस., विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली को दिनांक 15 से 19 सितम्बर 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 20, 21 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री स्वर्णमाला रावला, भाप्रसे विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री स्वर्णमाला रावला उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अगस्त 2014 द्वारा दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें 11 अगस्त 2014 (एक दिन) एवं दिनांक 13 से 14 अगस्त 2014 तक दो दिन (कुल 3 दिन) का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अगस्त 2014 अनुसार.

क्र. ई-5-454-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस., तत्का. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन को दिनांक 23 अप्रैल से 8 जून 2014 तक सैंतालीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्र. ई.-5-918-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर जिला-सतना को दिनांक 8 से 15 सितम्बर 2014 तक आठ दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर जिला-सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्र. ई.-5-483-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 23 से 30 सितम्बर 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. के. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एस. निरंजन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक का सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एस. निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014

क्र. ई.-5-814-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस., विकअ-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल को दिनांक 8 से 19 सितम्बर 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 20, 21 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश को दिनांक 25 से 30 सितम्बर 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्र. ई-5-727-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री विनोद कटेला, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 23 जून से 11 जुलाई 2014 तक उन्नीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विनोद कटेला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कटेला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-904-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस., उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 17 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2014 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-787-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 1 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक उन्चालीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्र. एफ-7 (13)2014-1-7-स्था-3.—श्री पन्नालाल सोलंकी, भा.प्रसे (2003) उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) को तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. एफ ए-5-16-2012-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अवकाश अवधि (1)	कुल दिन (2)	अवकाश का प्रकार (3)	अभियुक्ति (4)
दि. 28-7-2014	01 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 एवं 27-7-2014 तक तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 29-7-2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014

शुद्धि-पत्र

क्र. अधिसूचना एफ 24-9-2010-एक-10 द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 391, भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 781 के पैरा ग्राफ 1 में "दिनांक 24 अगस्त 2014" प्रकाशित हो गया है के स्थान पर संशोधित शब्द "24 नवम्बर 2014" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2014

क्र. ई.-5-464-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री जयदीप गोविंद, आएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2014 द्वारा 11 से 22 अगस्त 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 11 से 21 अगस्त 2014 तक ग्यारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2014 के अनुसार यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2014

अध्यक्ष मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का गृह भाड़ा भत्ता हेतु

क्र. एफ 1-14-2013-छब्बीस-1.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2013 द्वारा आयोग के अध्यक्ष महोदय की सेवा शर्तें जारी की गई थी, उक्त जारी सेवा शर्तों की कंडिका (11) में किराये के आवास की सुविधा रुपये 20,000/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया था.

(2) उपरोक्त के संबंध में वित्त विभाग की टीप क्र. सीआर-1038-ब-4, दिनांक 14 अगस्त 2014 द्वारा परामर्श दिया है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-15-2010-नि-चार, दिनांक 15 दिसम्बर 2011 (कंडिका-2) में निहित प्रावधान अनुसार इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2013 द्वारा जारी सेवा शर्तों की कंडिका-11 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावे. सेवा शर्तों की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भारती दशपुत्रे, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्र. एफ-31-3-2014-दो-ए (3).—विभाग की अधिसूचना एफ-31-3-2009-दो-ए(3), भोपाल दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के व्यवस्थापन एवं पुनर्वास समामेलित विशेष

निधि की राज्य प्रबंध समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्य एयर वाइस मार्शल (से.नि.) ए. विक्रम पेठिया एवं ब्रिगेडियर (से.नि.) जी.एस. संधू का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को राज्य शासन एतद्द्वारा अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत करता है:—

1. मेजर जनरल, एस. आर. सिन्हो
ई-2/170, अरेरा कालोनी भोपाल, पिन 462016.

2. श्री आर. एन. प्रसाद
मकान नं. 709, अरविन्द विहार, बागमुगालिया, भोपाल.

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिये होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2014

क्र. एफ 23-66-1999-4-पच्चीस.—राज्य शासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन करता है:—

1.	श्री शिवराज सिंह चौहान	मान. मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री जयंत मलैया	मा. वित्त मंत्री	सदस्य
3.	श्री बाबूलाल गौर	मा. गृह मंत्री	सदस्य
4.	श्री ज्ञानसिंह	मा. मंत्री. आ.जा.क. एवं अनु. जाति क.	सदस्य
5.	डॉ. भागीरथ प्रसाद	मा. सांसद	सदस्य
6.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	मा. सांसद	सदस्य
7.	श्री फग्गनसिंह कुलस्ते	मा. सांसद	सदस्य
8.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	मा. सांसद	सदस्य
9.	श्री गोपीलाल जाटव	मा. विधायक	सदस्य
10.	श्री प्रदीप लारिया	मा. विधायक	सदस्य
11.	श्री अंचल सोनकर	मा. विधायक	सदस्य
12.	श्री देवेन्द्र वर्मा	मा. विधायक	सदस्य
13.	श्री राजेन्द्र वर्मा	मा. विधायक	सदस्य
14.	श्री कुंवर सिंह टेकाम	मा. विधायक	सदस्य
15.	श्री जयसिंह मरावी	मा. विधायक	सदस्य
16.	श्रीमती नंदिनी मरावी	मा. विधायक	सदस्य
17.	श्री पंडित सिंह धुर्वे	मा. विधायक	सदस्य
18.	श्री राजेन्द्र दादु	मा. विधायक	सदस्य
19.	श्री वेलसिंह भूरिया	मा. विधायक	सदस्य
20.	मुख्य सचिव, म.प्र. शासन		सदस्य
21.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग.		सदस्य
22.	पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश		सदस्य
23.	निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल.		सदस्य
24.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.		संयोजक

3. उक्त समिति का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा विधान सभा विघटन जो भी पहले हो, तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्र. एफ-1ए-39-2014-चौदह-1.—राज्य शासन द्वारा डॉ. डी.एन. शर्मा, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय को विभिन्न अनियमितताओं में जारी आरोप-पत्रों के अनुक्रम में अस्थाई रूप आगामी आदेश पर्यन्त स्थानांतरित करते हुए संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान "सीएट" भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री विजय पण्डित, अपर संचालक, प्रभारी संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान "सीएट" भोपाल को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रभारी संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014

फा. क्र. 1(बी)-2-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन श्री शैलेन्द्र वर्मा पुत्र श्री प्रल्हाद सिंह वर्मा अधिवक्ता, जिला शाजापुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शाजापुर सत्र खण्ड के शाजापुर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014

फा. क्र. 1(बी)-3-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन श्री सौभाग्य सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह राजपूत, अधिवक्ता, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अशोकनगर सत्र खण्ड के अशोकनगर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर नियुक्त करता है, यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-3-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री नीलम सिंह यादव, अधिवक्ता, जिला अशोकनगर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अशोकनगर सत्र खण्ड के अशोकनगर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-3-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन श्री राजीव खेर पुत्र स्व. श्री प्रभाकर राव खेर, अधिवक्ता, जिला अशोकनगर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अशोकनगर सत्र खण्ड के अशोकनगर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. पी. खेर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2014

फा. क्र. 3(ए)11-2014-इक्कीस-ब(एक)-2925.—उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य श्री के.सी. गर्ग, को कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4 के अधीन मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (1) एवं (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक-4-ए/2002/21-ब(एक), दिनांक 7 जनवरी 2014 द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि अथवा अगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो) अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के पद पर नियुक्त किया गया था. श्री के.सी. गर्ग, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर के विरुद्ध विशेष प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 13 अगस्त 2014 में लिए गए निर्णय एवं फुलकोर्ट मीटिंग द्वारा किए गए अनुमोदन के फलस्वरूप श्री के.सी. गर्ग प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की सेवाएं आगे निरंतर नहीं रखने का प्रस्ताव किया गया है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रस्तुत समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री के.सी. गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर की सेवाएं आगे निरंतर नहीं रखते हुए समाप्त की जावे.

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के.सी. गर्ग, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की सेवाएं आगे निरंतर न करते हुए (Discontinue) तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई) 44--2013-इक्कीस-ब (एक)-2584-2014.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग

में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(एक) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 13, 26, 45, 48 तथा 49 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :—

सारणी

अनु-क्रमांक	जिले का नाम	न्यायाधीश का नाम तथा पदाभिधान
(1)	(2)	(3)
"13.	गुना	श्री जी.पी. अग्रवाल, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, गुना.
26.	पन्ना	श्री आर.एन. चौधरी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना.
45.	अलीराजपुर	श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.
48.	बुरहानपुर	श्री रविन्द्र सिंह, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.
49.	डिण्डौरी	कु. करुणा एस. त्रिवेदी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डौरी."

F-No. 17(E) 44-2013-XXI-B(1) 2584-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government. In consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F-No. B (one)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 13, 26, 45, 48 and 49 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"13.	Guna	Shri G. P. Agrawal, Ist Additional Sessions Judge, Guna.
26.	Panna	Shri R.N. Choudhary, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Panna.
45.	Alirazpur	Smt. Paro Raizada, District & Sessions Judge, Alirazpur.
48.	Burhanpur	Shri Ravinder Singh, Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur.
49.	Dindori	Ku. Karuna S. Trivedi, District & Sessions Judge, Dindori."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014

क्र. 2516-1802-2014-बत्तीस.—राज्य शासन द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वेटलेण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 के अधीन तालाबों/वेटलेण्ड के संरक्षण हेतु नीतिगत विकास, नियामक ढांचा, एकीकृत प्रबंधन योजना एवं क्रियान्वयन, क्षमता विकास, शोध, नेटवर्किंग, कम्यूनिकेशन, जागरूकता एवं वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिये नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग तथा राज्य में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) को राज्य वेटलेण्ड अधिकरण घोषित किया जाना है.

2. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण के रूप में वेटलेण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 में उल्लेखित कार्यों (परिशिष्ट-1) को क्रियान्वित, संचालित तथा विनियमित करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

परिशिष्ट-1

Proposed functions of State Wetland Authorities :

1.	Policy	1.1 Formulate policy guidelines for conservation and sustainable management of the wetlands of the state.
		1.2 Identify and make recommendations for designation of wetlands as Wetlands of International Importance (Ramsar Sites), National Importance (under the National Programme on conservation of Aquatic Ecosystems) or any other international and national programme.
2.	Advise	2.1 Advise the state government, its agencies, local authorities and autonomous agencies on matter pertaining to conservation and management of wetlands.
		2.2 Act as a clearing house for all technical matters related to wetlands.
3.	Regulation	3.1 Act to regulate and control all activities detrimental to maintenance of biodiversity and other ecological components, processes and services of wetlands.
		3.2 Ensure compliance with the existing national (eg. Wetland (Conservation and Management) Rules, 2010 and state level regulatory frameworks related to wetlands.
		3.3 Approach the state government for enactment of any regulation for achieving conservation and sustainable management of wetlands in the state.
4	Integrated management planning.	4.1 Formulate integrated management plans for conservation and sustainable use of prioritized wetlands.
		4.2 Work towards mainstrea ming wetlands in sectoral programmes and policies, inter alea, water resources development, rural development, agriculture, urban development to ensure complementarity of the sectoral programmes with wetland ecosystem services and biodiversity and in particular prevent any detrimental impact.
5.	Wetland management.	5.1 Coordinate and facilitate implementation of the following activities (within the ambit of site management plans) by organizations, institutions, departments, and local communities:
		(a) restoration of hydrological regimes, including improvement of water quality.
		(b) control of silt load from catchments.
		(c) management of plant and animal invasives.

		(d) ecological restoration and habitat improvement.
		(e) sustainable development of capture and culture fisheries.
		(f) livelihood improvement and disaster risk reduction with communities living in and around wetlands.
		(g) community-managed eco-tourism development.
		5.2 Work towards resolution of trans boundary, trans catchment and multi-stakeholder conflicts.
6.	Monitoring and Evaluation	6.1 Develop and maintain a wetland inventory, assessment and monitoring system, based on scientific guidelines, to assess and respond to changes in wetland components, processes and services.
		6.2 Commission strategic environmental assessments for developmental projects likely to create detrimental impacts on wetland biodiversity and ecosystem services.
		6.3 Collate and disseminate periodic reports on status of wetlands of the state.
7.	Capacity Building.	7.1 Upgrade management and professional skills of authority members, staff and local communities involved in wetland management.
8.	Research	8.1 Promote multi-disciplinary research on wetlands to support integrated and adaptive management.
9.	Networking and collaboration	9.1 Collaborate with other state, national and international institutions to promote the cause of conservation and sustainable management of wetlands,
10.	Awareness generation	10.1 Develop and implement a communication and outreach strategy for wetlands.
		10.2 Maintain a dedicated website
		10.3 Create awareness on wetland biodiversity and ecosystem services through organizing special events, communication and other channels as may be appropriate.
11.	Financial management and fund raising.	11.1 Secure funds for implementation of wetland management plans by developing collaborative projects for funding support by state, national and international donors and private sector.
		11.2 Acquire by gift, purchase, exchanqe, lease, hire or otherwise any property movable or immovable necessary for implementing the objectives of the society.
		11.3 Draw, accept, make and endorse for the purpose of the authority, discount and negotiate Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014

क्र. 1605-1268-14.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बैतूल	बैतूल	श्री आनंद जाम्बुलकर, एजे टू I सीजे-I एण्ड जेएमएफसी, बैतूल.
2	मंदसौर	मंदसौर	श्री एम. ए. खान, सीजेएम, मंदसौर

No. 1605-1268-14.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates judicial Officers as specified in column (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below, for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Betul	Betul	Shri Anand Jambulkar, AJ to I CJ-I & JMFC, Betul.
2	Mandsaur	Mandsaur	Shri M. A. Khan, CJM, Mandsaur.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2014

क्र. 1607-1147-14.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	हरदा	हरदा	1. श्रीमती शिखा केशवरे	सदस्य
			2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	सदस्य

No. 1607-1147-L-2-14.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Harda	Harda	1. Smt. Shikha Keshvare 2. Shri Veerendra Agrawal

क्र.1607-1147-14.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा, (क) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है, और कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	हरदा	हरदा	1. श्री वेद प्रकाश विश्नोई	अध्यक्ष
			2. श्री देवेन्द्र दुआ	सदस्य
			3. श्रीमती वीणा त्रिपाठी	सदस्य
			4. श्री राजेश सिंह वर्मा	सदस्य
			5. श्री जितेन्द्र खनूजा	सदस्य

No. 1607-1147-L-2-14.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Child Welfare Committees & its district Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Harda	Harda	1. Shri Ved Prakesh Vishnoi	Chair Person
			2. Shri Devendra Dua	Member
			3. Smt. Veena Tripathi	Member
			4. Shri Rajesh Singh Verma	Member
			5. Shri Jitendra Khanuja	Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. करयाम, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-2644-2014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 13, 15, 17, 30, 38, 55, 63, 68, 82, 103, 103-ए, 103-बी तथा 104 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"13.	भिण्ड	अपर सेशन न्यायाधीश, लहार	श्री पवन कुमार शर्मा, अपर सेशन न्यायाधीश, लहार.
15.	भोपाल	अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1, भोपाल.	श्री रामब्रेश यादव, अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1, भोपाल.
17.	बुरहानपुर	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर	श्री रविन्दरन सिंह, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.
30.	धार	अपर सेशन न्यायाधीश, कुक्षी	श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, अपर सेशन न्यायाधीश, कुक्षी.
38.	ग्वालियर	अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक-3, ग्वालियर.	श्री डी. पी. एस. गौर, अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-3, ग्वालियर.
55.	मंडला	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, मंडला	श्री अजय कुमार सिंह, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, मंडला.
63.	मुरैना	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जौरा	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनि.), प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जौरा.
68.	पन्ना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) पन्ना.	श्री रामनारायण चौधरी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), पन्ना.
82.	सागर	अपर सेशन न्यायाधीश, रहली	श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन, अपर सेशन न्यायाधीश, रहली.

(1)	(2)	(3)	(4)
103.	टीकमगढ़	चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़	श्री शरद भामकर, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ.
103-ए	टीकमगढ़	अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा	श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा.
103-बी	टीकमगढ़	अपर सेशन न्यायाधीश, निवाड़ी	श्री आर. पी. सोनकर, अपर सेशन न्यायाधीश, निवाड़ी.
104.	उज्जैन	ग्यारहवें अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	श्री डी. एन. मिश्रा, ग्यारहवें अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन''.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One)2644-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment's in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial numbers 13, 15, 17, 30, 38, 55, 63, 82, 103, 103-A, 103-B and 104 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"13.	Bhind	Additional Sessions Judge, Lahar.	Shri Pavan Kumar sharma, Additional Sessions Judge, Lahar.
15.	Bhopal	Additional Sessions Judge Special Court No. 1, Bhopal.	Shri Rambaresh Yadav, Additional Sessions Judge, Special Court No. 1, Bhopal.
17.	Burhanpur	Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur.	Shri Ravinder Singh, Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur.
30.	Dhar	Additional Sessions Judge, Kukshi.	Shri Sanjay Kumar Chaturvedi, Additional Sessions Judge, Kukshi.
38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No.3, Gwalior.	Shri D.P .S. Gaur, Additional Sessions Judge, Special Court No. 3, Gwalior.
55.	Mandla	IIIrd Additional Sessions Judge, Mandla.	Shri Ajay Kumar Singh, IIIrd Additional Sessions Judge, Mandla.

(1)	(2)	(3)	(4)
63.	Morena	1st Additional Sessions Judge, Jora.	Shri Sudeep Kumar Shrivastava (Sr), Ist Additional Sessions Judge, Jora.
68.	Panna	Special Judge SC/ST (POA) Act, Panna.	Shri Ram Narayan Choudhary, Special Judge, SC/ST (POA) Act, Panna.
82.	Sagar	Additional Sessions Judge, Rehli.	Shri Ravindra Kumar Bhadrasen, Additional Sessions Judge, Rehli.
103.	Tikamgarh	IVth Additional Sessions Judge, Tikamgarh.	Shri Sharad Bhamkar, IVth Additional Sessions Judge, Tikamgarh.
103-A	Tikamgarh	Additional Sessions Judge, Jatara.	Shri Ramesh Prasad Thakur, Additional Sessions Judge, Jatara.
103-B	Tikamgarh	Additional Sessions Judge, Niwari.	Shri R. P. Sonkar, Additional Sessions Judge, Niwari.
104.	Ujjain	XIth Additional Sessions Judge, Ujjain.	Shri D.N.Mishra, XIth Additional Sessions Judge, Ujjain.

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-2644-014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 17, 30, 55, 63, 103, 103-ए, 103-बी तथा 104 उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"17.	बुरहानपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.	बुरहानपुर का विद्युत् क्षेत्र
30.	धार	अपर सेशन न्यायाधीश, कुक्षी	कुक्षी का विद्युत् क्षेत्र
55.	मंडला	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, मंडला	सिविल जिला मण्डला, का समस्त विद्युत् क्षेत्र
63.	मुरैना	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जौरा	जौरा का विद्युत् क्षेत्र
103.	टीकमगढ़	चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़	सिविल जिला टीकमगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 103-ए तथा 103-बी के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
103-ए	टीकमगढ़	अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा	जतारा का विद्युत् क्षेत्र
103-बी	टीकमगढ़	अपर सेशन न्यायाधीश, निवाड़ी	निवाड़ी का विद्युत् क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)
104.	उज्जैन	ग्यारहवें अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	सिविल जिला उज्जैन के समस्त ग्रामीण विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 104-ए, 104-बी, 105 एवं 105-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)."

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)1347-013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 17, 30, 55, 63, 103, 103-A, 103-B & 104 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"17.	Burhanpur	Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur.	Electricity area of Burhanpur
30.	Dhar	Additional Sessions Judge, Kukshi.	Electricity area of Kukshi
55.	Mandla	IIIrd Additional Sessions Judge, Mandla.	All Electricity area of Civil District Mandla.
63.	Morena	Ist Additional Sessions Judge, Jora.	Electricity area of Jora
103.	Tikamgarh	IVth Additional Sessions Judge, Tikamgarh.	All Electricity area of Civil District Tikamgarh (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 103-A & 103-B.
103-A	Tikamgarh	Additional Sessions Judge, Jatra.	Electricity area of Jatara
103-B	Tikamgarh	Additional Sessions Judge, Niwari.	Electricity area of Niwari
104.	Ujjain	XIth Additional Sessions Judge, Ujjain.	All Electricity area of Civil District Ujjain Rural (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 104-A., 104-B, 105 and 105-A)."

Note.—The pending cases of the Special court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक)-2585-2014.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, यथा :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 12, 33, 51, 51-अ तथा 53 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, :—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष, न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"12.	श्री आर. एन. चौधरी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना.	पन्ना	पन्ना
33.	श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, गुना.	गुना	गुना
51.	श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.	अलीराजपुर	अलीराजपुर
51-अ	कु. करुणा एस. त्रिवेदी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी.	डिण्डोरी	डिण्डोरी
53.	श्री रविन्द्र सिंह, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1) 2585-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B (1), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 dated the 17th April 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 12, 33, 51, 51-A and 53 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :—

S.No.	Name and designation of the Judge	Special Court	Local area Session divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"12.	Shri R. N. Choudhary, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Panna.	Panna	Panna
33.	Shri G. P. Agrawal I[st] Additional Sessions Judge, Guna.	Guna	Guna

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	Smt. Paro Raizada, District & Sessions Judge, Alirazpur.	Alirazpur	Alirazpur
51-A.	Ku. Karuna S. Trivedi, District & Sessions Judge, Dindori.	Dindori	Dindori
53.	Shri Ravinder Singh, Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur.	Burhanpur	Burhanpur"

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of this office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 10 सितम्बर 2014

प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 778-ए-82-13-14.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 538-ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा **ग्राम बोड़ायता** की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये **3.25 हेक्टर** भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2054, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13839 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र दबंग दुनिया में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार-पत्र प्रसारण में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.

प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 780-ए-82-13-14.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 540-ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा **ग्राम रूपापाड़ा** की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये **4.03 हेक्टर** भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2055, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13840 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र पीपुल्स समाचार में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार-पत्र प्रसारण में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.

प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 782-ए-82-13-14.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 542-ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा **ग्राम निनामापाड़ा** की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये **2.76 हेक्टर** भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2057, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13841 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र चौथा संसार में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार-पत्र प्रसारण में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.

प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 784-ए-82-13-14.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 544-

ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा **ग्राम तिखीपाड़ा** की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये **6.74 हेक्टर** भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2058, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13842 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र नवभारत में दिनांक 20 जून 2014 एवं समाचार-पत्र प्रसारण में दिनांक 20 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.

प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 786-ए-82-13-14.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 546-ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा **ग्राम टाण्डापड़ाव** की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये **0.25 हेक्टर** भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2060, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13843 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र राजएक्सप्रेस में दिनांक 20 जून 2014 एवं समाचार-पत्र दैनिक दोपहर में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.

प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 788-ए-82-13-14.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 548-ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा **ग्राम टाण्डालालानायक** की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये **7.92 हेक्टर** भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2061, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13844 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र राजएक्सप्रेस में दिनांक 20 जून 2014 एवं समाचार-पत्र प्रसारण में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.

प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 790-ए-82-13-14.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 550-ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा **ग्राम गोठानिया खुर्द** की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये **2.96 हेक्टर** भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2064, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13845 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र पीपुल्स समाचार में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार-पत्र प्रसारण में दिनांक 20 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.

प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 792-ए-82-13-14.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 552-ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा **ग्राम जुनवानिया** की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये **3.42 हेक्टर** भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2066, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13846 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र प्रभात किरण में दिनांक 20 जून 2014 एवं समाचार-पत्र स्वदेश में दिनांक 20 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.

प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 794-ए-82-13-14.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 554-ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा **ग्राम बरवेट** की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये **9.93 हेक्टर** भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2068, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13847 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र चौथासंसार में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार-पत्र दैनिक अवन्तिका में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 796-ए-82-13-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में **माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ** की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

नहर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक त्रुटिवंश छूट जाने के कारण अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम-**हिण्डोलाबावड़ी,** तहसील-**पेटलावद**

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**निजी भूमि**			
	पत्थरपाड़ा वितरिका नहर	0.09	0.00	0.09
	योग :	**0.09**	**0.00**	**0.09**

अनुसूची (2)

पत्थरपाड़ा वितरिका नहर

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पुंजा पिता जोगडिया भूरिया, जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	6/1	0.30		0.30	0.09		0.09
	योग :		0.30		0.30	0.09		0.09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी जिला बैतूल एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग

बैतूल दिनांक 4 सितम्बर 2014

क्र. 1-एस.डब्ल्यू.-2014-7374.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-2 (क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार शासन स्तर से जिले के भीतर स्वीकृत नवीन पुलिस थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिलास्तरीय समिति को प्रत्यायोजित किये गये हैं एवं जिला दण्डाधिकारी को अधिसूचना जारी करने हेतु पदेन उप-सचिव भी घोषित किया गया हैं.

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ 2 (क) 19-2012-बी-3-दो, दिनांक 1-4-2013 द्वारा पुलिस चौकी ''बैतूल गंज'' की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना हैं.

अतएव भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 2, के खण्ड एस में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा संलग्न सारणी में वर्णित सम्बन्धित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से—

संलग्न सारणी के पृष्ठ क्रमांक 01 के कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट ग्रामों एवं पृष्ठ क्रमांक 02 के कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3) के शहरी वार्डों के नामों के सम्मुख विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती हैं, और

बैतूल गंज जो जिला बैतूल के थाना कोतवाली बैतूल एवं तहसील बैतूल अन्तर्गत है को ''पुलिस चौकी'' घोषित करती हैं एवं संलग्न सारणी के पृष्ठ क्रमांक 01 के कॉलम (3) में निर्दिष्ट क्षेत्रों तथा सारणी के पृष्ठ क्रमांक 02 के कॉलम (3) के शहरी वार्डों के नामों के सम्मुख निर्दिष्ट क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है.

थाना कोतवाली बैतूल से अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों की सारणी

देहात क्षेत्र

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	ग्रामों के नाम
(1)	(2)	(3)
1	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	खण्डारा
2	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	मल्कापुर
3	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	बाजपुर
4	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	खेड़ली
5	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	भैंसदेही
6	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	राठीपुर
7	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	खेड़ला
8	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	रावनबाड़ी
9	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	उमरी (जागीर)
10	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	बोड़ी
11	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	केलापुर
12	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	सोमवारी पेठ
13	थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	कुम्हार टेक

थाना कोतवाली बैतूल से अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों की सारणी

शहरी क्षेत्र

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	वार्डवार अपवर्जित किए जाने वाली शहरी क्षेत्र	
(1)	(2)		(3)
		वार्ड क्रमांक एवं नाम	**वार्ड में से अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र**
1	थाना कोतवाली, बैतूल तहसील बैतूल, जिला बैतूल.	वार्ड क्रमांक 02 अर्जुन नगर	(1) अर्जुन नगर, (2) कत्तल ढाना, (3) तुलसी नगर, (4) कालापाठा.

(1)	(2)		(3)
2	थाना कोतवाली, बैतूल, तहसील बैतूल, जिला बैतूल	वार्ड क्रमांक 01 सुभाष वार्ड	(1) हमलापुर, (2) गोंडी मोहल्ला, (3) डिपो गेट, (4) माझी नगर.
3	–''–	वार्ड क्रमांक 23 जयप्रकाश वार्ड	(1) पटवारी कालोनी, (2) रेल्वे कालोनी, (3) गर्ग कालोनी, (4) इन्द्रा नगर नागपुर नाका.
4	–''–	वार्ड क्रमांक 22 इन्दिरा वार्ड	(1) इन्द्रा कालोनी, (2) पीडब्ल्यूडी ऑफिस, (3) गाँधी नगर, (4) सिंचाई विभाग.
5	–''–	वार्ड क्रमांक 21 टैगोर वार्ड	(1) पुलिस लाईन, (2) हाउसिंग बोर्ड, (3) सिविल लाईन, (4) सिंधी कालोनी.
6	–''–	वार्ड क्रमांक 25 रामनगर वार्ड	(1) रामनगर, (2) रामनगर ढ़ीमर मोहल्ला, (3) सिंगलढ़ाना.
7	–''–	वार्ड क्रमांक 28 विकास नगर वार्ड	(1) विकास नगर, (2) सुयोग कालोनी, (3) टेलीफोन कालोनी, (4) संजय कालोनी, (5) जेएच कॉलेज.
8	–''–	वार्ड क्रमांक 29 राजेन्द्र वार्ड	(1) चुन्नी ढाना, (2) शहीद कालोनी, (3) सब्जी मंडी, (4) राजेन्द्र वार्ड.
9	–''–	वार्ड क्रमांक 30 लोहिया वार्ड	(1) लोहिया वार्ड, (2) आबकारी, (3) लोहिया वार्ड ओझाढ़ाना.
10	–''–	वार्ड क्रमांक 31 विनोबा नगर वार्ड	(1) विनोबा नगर भग्गूढाना
11	–''–	वार्ड क्रमांक 32 शंकर वार्ड	(1) माचना नगर, (2) शंकर वार्ड ओझाढाना, (3) शंकर नगर भग्गूढाना.
12	–''–	वार्ड क्रमांक 33 विवेकानंद वार्ड	(1) विवेकानंद भग्गूढाना (2) ग्रीन सीटी, (3) काली चट्टान, (4) मेहतो कालोनी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

सूचना

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014

क्र. 628–स्था.निर्वा.–2014.—मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–1–2014–बाईस–पं.–2, दिनांक 20 अगस्त 2014 एवं राज्य निर्वाचन आयोग के परिपत्र क्रमांक एफ–70–121–2014–तीन–1401, दिनांक 4 सितम्बर 2014 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–11–95–बाईस–

पं-1, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 126(1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व, जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा जायेगा) के स्तम्भ (4) में वर्णित ग्राम पंचायतों के स्तम्भ (6) के ग्राम सम्मिलित हैं, को मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 29-एफ-1-30-2012-अठारह-3, दिनांक 6 सितम्बर 2014 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. इस संबंध में आपत्ति/ सुझाव दिनांक 15 सितम्बर 2014 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील हुजूर को प्रस्तुत किए जा सकेंगे:—

सारणी

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भोपाल	फन्दा	रापड़िया	रापड़िया	1. रापड़िया
					2. कटारा
					3. बर्राई
					4. बगली
2	भोपाल	फन्दा	कोलूखेड़ी	कोलूखेड़ी	5. कोलूखेड़ी
3	भोपाल	फन्दा	छान	छान	6. छान
					7. मक्सी
					8. पिपलियाकुंजनगढ़
					9. भैरोपुर
4	भोपाल	फन्दा	भौरी	भौरी	10. भौरी
					11. जमोनिया छीर
					12. मीरपुर वीरान
5	भोपाल	फन्दा	दीपड़ी	दीपड़ी	13. दीपड़ी
					14. समरधा कलियासोत
6	भोपाल	फन्दा	रतनपुर सड़क	रतनपुर सड़क	15. रतनपुर सड़क
					16. नरेला हनुमंत
					17. बिलखिरिया खुर्द
					18. गुराड़ीघाट
7	भोपाल	फन्दा	नीलबड़	नीलबड़	19. नीलबड़
8	भोपाल	फन्दा	लांबाखेड़ा	लांबाखेड़ा	20. लांबाखेड़ा

निशांत बरवड़े, कलेक्टर.

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), मण्डला, मध्यप्रदेश

अधिसूचना

मण्डला, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. मण्डी निर्वा.-2013-179.—मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत सहकारी विपणन

सोसायटी की प्रबंध कारणी समिति, कृषि विभाग का एक अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी, जिला भूमि विभाग बैंक का एक-एक प्रतिनिधि तथा मण्डी क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट किया जाना है. अतः मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, मण्डला, कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला/ नैनपुर/ बिछिया के निम्नांकित प्रतिनिधियों को मण्डी समिति में सदस्यता हेतु नामनिर्दिष्ट करता हूं :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	सदस्य का विवरण	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मण्डला	विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री कैलाश कुमार रावत	पडाव वार्ड, मण्डला
		सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि	श्री हरि प्रसाद साहू	पडाव वार्ड, मण्डला
		कृषि विभाग का प्रतिनिधि	श्री के. एस. नेताम	उप संचालक, कृषि, मण्डला
		जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि	श्री संतोष कुमार रजक	ग्राम व तह. निवास, जिला मण्डला
		जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	श्री मदन चौरसिया	कटरा रोड, मण्डला
		जिला पंचायत का प्रतिनिधि	श्री जोरावर सिंह	महाराजपुर, पौंडी, जिला मण्डला
		लोक सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री मांगन सोनी	ग्राम व पोस्ट नारायणगंज, मण्डला
2	बिछिया	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	श्री के. सी. कोकडिया	वरि. कृषि वि. अधि., बिछिया
		सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि	श्री महेश विश्वकर्मा	सहकारी विपणन समिति, मण्डला
		विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री तुलाराम साहू	ग्राम भुआ बिछिया, तह. बिछिया
		जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	श्री तिहार सिंह	ग्राम मुरता, पो. मवई, तह. बिछिया
		जिला पंचायत का प्रतिनिधि	श्री जागेश्वर राजपूत	ग्राम नेवसा बहेरा, तह. बिछिया
		जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि	श्री संतोष रजक	ग्राम निवास, तह. निवास
3	नैनपुर	सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि	श्री मदन गोपाल मरकाम	ग्राम व पो. सालीवाडा, तह. नैनपुर
		कृषि विभाग का प्रतिनिधि	श्री आर. डी. जाटव	वरि. कृषि विस्तार अधिकारी, नैनपुर
		जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि	श्रीमती संपतिया उइके	ग्राम व पो. टाटरी, तह. नैनपुर
		जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	श्री जुगल किशोर श्रीधर	ग्रा. व पो. पाठासिहोरा, तह. नैनपुर
		विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्रीमती सुनीता मरावी	वार्ड क्र. 14, ग्राम व पोस्ट नैनपुर
		जिला पंचायत का प्रतिनिधि	श्री लालजू मर्सकोले	जनपद सदस्य नैनपुर, ग्राम भालीवाडा, मण्डला.

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. 264-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम—हरनाखेडी ब. नं. 306 प.ह.नं. 36 रा.नि.मं.-चांद.	रकबा 09.493 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. 5650-दस-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	रकवा क्षेत्रफल हे. में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	कोतमा	चुकान	38/2	0.129	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र.).	बांकी जलाशय योजना के बांध एवं नहर कार्य हेतु.
			99/4	0.845		
			976/1ख	0.136		
			977/2ख	0.156		
			978/3	0.117		
			996/3	0.102		
			999/11क	0.081		
			999/11ख	0.081		
			योग . .	1.647		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 5651-दस-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	रकवा क्षेत्रफल हे. में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	कोतमा	छिड़मिड़ी	200/1	0.080	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र.).	बांकी जलाशय योजना के बांध एवं नहर कार्य हेतु.
			427/9	0.036		
			441/3	0.044		
			599/1	0.035		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			742/1	0.032		
			745/1	0.056		
			745/3	0.056		
			769/3ख	0.054		
			96/5क	0.024		
			409/1	0.032		
			96/5ख	0.024		
			96/2	0.048		
			96/1	0.038		
			95	0.051		
			30	0.051		
			31/1	0.032		
			739/2	0.022		
			31/2	0.009		
			90	0.025		
			54	0.057		
			59	0.048		
			32/1	0.084		
			53	0.019		
			410	0.033		
			49	0.036		
			45	0.022		
			46	0.017		
			47	0.033		
			8	0.006		
			58	0.022		
			71	0.025		
			320	0.032		
			631/1	0.076		
			330	0.057		
			331	0.019		
			310	0.141		
			726/3	0.048		
			310	0.032		
			559/1	0.028		
			311/2	0.041		
			569	0.025		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			568	0.038		
			562/1	0.032		
			559/925	0.041		
			558	0.048		
			656/1	0.048		
			654	0.041		
			653/3	0.080		
			659/2	0.041		
			660/2	0.064		
			738/4	0.009		
			738/3	0.009		
			738/5	0.032		
			740	0.012		
			741	0.019		
			741/954	0.038		
			728	0.048		
			725	0.044		
			717/1	0.006		
			305/4	0.012		
			306/1	0.024		
			411	0.017		
			407	0.004		
			योग . .	2.357		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं विभागीय अधिकारी राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 5655-दस-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	रकवा क्षेत्रफल हे. में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	कोतमा	निमहा	1455/1	0.171	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र.).	बांकी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.
			1455/2	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1457	0.166		
			1458	0.210		
			1459/1	0.055		
			1459/2	0.054		
			1805	0.040		
			1806	0.109		
			1807/2	0.101		
			1807/3	0.101		
			1807/4	0.102		
			1808/2	0.089		
			1809/1	0.437		
			1811/1/ख	0.148		
			1866/2	0.308		
			1866/3	0.575		
			1866/4	1.117		
			1866/5	0.202		
			1866/6	0.259		
			1866/7	1.214		
			1866/8	0.445		
			1892/2ख	0.030		
			1901/2क	0.145		
			1901/2ख	0.146		
			योग . .	6.324		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 5656-दस-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	रकवा क्षेत्रफल हे. में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	कोतमा	भाद	2393	0.016	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र.).	बांकी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.
			2400	0.038		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2401	0.038		
			2412	0.020		
			2413	0.044		
			2435/2	0.064		
			2442	0.028		
			2443	0.035		
			2444	0.016		
			2449/3	0.009		
			2448/2	0.008		
			2450	0.028		
			2451	0.016		
			2472	0.008		
			2473	0.025		
			2474	0.040		
			2476	0.016		
			2482	0.032		
			2483	0.040		
			2475	0.040		
			योग . .	0.561		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम्, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. 4466-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	कोटरी	0.850	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.	भदार व्यपवर्तन योजना.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भदार व्यपवर्तन योजना, नहर निर्माण हेतु.

उमरिया, दिनांक 4 सितम्बर 2014

क्र. 4514-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस,

सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	बांधवगढ़	धनवाही	2.800	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.	धनवाही व्यपवर्तन योजना.
		देवदण्डी	6.100		
		धनवार	1.966		
		महुरी	0.500		
		बिजौरा	0.500		
उमरिया	नौरोजाबाद	देवरी	0.200	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.	धनवाही व्यपवर्तन योजना.
		झींकाताल	0.300		
		बड़ागांव	0.500		
		योग . .	12.866		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—धनवाही व्यपवर्तन योजना, के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृष्ण गोपाल तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 4 सितम्बर 2014

पृ. क्र. 6560-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	झालौन	1.542	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.	हालोन जलाशय की दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D. P. R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 6561-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	सालीवाड़ा	2.532	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.	हालोन जलाशय की दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D. P. R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 6562-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	खुरसीपार	3.987	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.	हालोन जलाशय की दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D. P. R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 6563-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	मोहगांव	5.879	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.	हालोन जलाशय की दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D. P. R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . .-10-पत्र क्र. 397-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मन्नी	14.221 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना जिला जिला सतना. म. प्र.	अधियारी सागर बांध योजना के अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . .-10-पत्र क्र. 398-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार

उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	दतौर	4.496	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना जिला जिला सतना. म. प्र.	अधियारी सागर बांध योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . .-10-पत्र क्र. 399-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के काने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	गोवरांवकला	3.701	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग क्रमांक-7 सतना म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2014

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . .-10-पत्र क्र. 413-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के काने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	कंदहली	5.560	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग-7 जिला सतना म. प्र.	न. घा. वि. प्रा. के बरगी व्यपवर्तन परियोजना में सतना-नागौद शाखा नहर से बिजहरा कोठार माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . . -10-पत्र क्र. 414-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के काने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	टिटहीडाडी	2.362	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग-7 जिला सतना म. प्र.	न. घा. वि. प्रा. के बरगी व्यपवर्तन परियोजना में सतना-नागौद शाखा नहर से बिजहरा कोठार माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . .-10-पत्र क्र. 415-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	गोरिया कोठार	1.613	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग-7 जिला सतना म. प्र.	न. घा. वि. प्रा. के बरगी व्यपवर्तन परियोजना में सतना नागौर शाखा नहर से बिजहरा कोठार माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शुद्धि-पत्र

दतिया, दिनांक 6 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13-प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.—शुद्धिपत्र श्यामपहाड़ी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम पचोखरा तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया की निजी भूमि का अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में 5 जुलाई 2013 को एवं समाचार-पत्र स्वदेश ग्वालियर दिनांक 7 जुलाई 2013 को एवं दतिया उदयदेश में दिनांक 6 जुलाई 2013 को (जी नं. 16520113) को हुआ था.

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

अनुसूची

स. क्र.	प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्ठी	सही संशोधित प्रविष्ठी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	म. प्र. राजपत्र भाग-1 दिनांक 5-7-2013	1.05 है.	1.06 है.
2	स्वदेश ग्वालियर दिनांक 7-7-2013	1.05 है.	1.06 है.
3	उदयदेश दतिया दिनांक 5-7-2013	1.05 है.	1.06 है.

उक्त अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.05 है. के स्थान पर 1.06 है. होगा.

शुद्धि-पत्र

प्र. क्र. 6-अ-82-2012-13-प्र. क्र. 6-अ-82-2012-13.—शुद्धिपत्र श्यामपहाड़ी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम बराबुजुर्ग तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया की निजी भूमि का अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में 12 जुलाई 2013 को एवं समाचार-पत्र आचरण ग्वालियर में दिनांक 8 जुलाई 2013 को एवं दतिया प्रकाश में दिनांक 7 जुलाई 2013 को (जी नं. 16514/13) को हुआ था.

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

अनुसूची

स. क्र.	प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्ठी	सही संशोधित प्रविष्ठी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	म. प्र. राजपत्र भाग-1 दिनांक 12-7-2013	1.175 है.	1.68 है.
2	आचरण ग्वालियर दिनांक 8-7-2013	1.175 है.	1.68 है.
3	दतिया प्रकाश दिनांक में 7-7-2013	1.175 है.	1.68 है.

उक्त अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.175 है. के स्थान पर 1.68 है. होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 6 सितम्बर 2014

शुद्धि-पत्र

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13-प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13-शुद्धिपत्र.—श्यामपहाड़ी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम पचोखरा, तहसील इन्दरगढ़, जिला दतिया में नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में 27 दिसम्बर 2013 को एवं समाचार-पत्र स्वदेश ग्वालियर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013 को एवं नई दुनिया में दिनांक 26 दिसम्बर 2013 को (जी नं. 23417/13) को हुआ था.

उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

अनुसूची

संक्र.	प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्ठी		सही संशोधित प्रविष्ठी	
		खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 27 दिसम्बर 2013.	215/2 215/5	0.10 हे.	215/1 215/2	0.10 हे.
2	स्वदेश ग्वालियर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013.	215/2 215/5	0.10 हे.	215/1 215/2	0.10 हे.
3	नई दुनिया दिनांक 26 दिसम्बर 2013.	215/2 215/5	0.10 हे.	215/1 215/2	0.10 हे.

उक्त उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.06 हे. होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 सितम्बर 2014

क्र. 6753-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम की धारा 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) ग्राम—परतापुर, प.ह.नं.-115

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.55 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
204/1	0.38
204/5	0.64
204/2 206/1 207/2 218/2	0.14

(1)	(2)
204/3 205/2 206/2 207/3	0.35
105/2	0.14
32/2	0.04
105/1	0.23
102	0.52
101/3	0.18
48	0.55
47/1	0.16
32/3	0.04
47/2	0.15
46/1	0.01
41/1	0.35
40/1	0.07
41/2	0.15
35/2	0.45
योग . .	4.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6754-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—मुगवानी, प.ह.नं.-33
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.88 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
1	0.46
5	0.42
योग . .	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6755-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—कूड्डो, प.ह.नं.-26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.79 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
256/1	0.05
274/1	0.03
256/2	0.43
274/2	0.09
267	0.02
269	0.21
272	0.28
275	0.10
278	0.21

(1)	(2)
279/1	0.34
279/2	0.25
280	0.40
151/1	0.11
140	0.14
313	0.13
योग . .	2.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6756-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) ग्राम—धनौरा खुर्द, प.ह.नं.-33

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.75 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
160	0.03
161	0.17
162	0.02
163	0.25
164/1	0.35
159/8	0.55
156	0.74
158	0.03
102/3	0.40
103/1 103/2	0.25
24/1	0.10
17/1	0.91
18/1	1.47
151	0.14
17/2	0.28
15	0.14
23	0.36
291	0.35
54/2	1.12
55	0.74
94	0.77
56	0.28
77/3 77/8	0.28
77/10	0.03
78	0.24
80	0.13
81	0.02
96/1	0.38
96/3	0.04
योग . .	10.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6757-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) ग्राम—माथनपुर, प.ह.नं.-33

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.88 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
19/1	0.02
28	0.12
29	0.12
30	0.62
योग . .	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6758-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) ग्राम—रामखैरी, प.ह.नं.-29

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.60 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
250	0.18
249	0.48
239/2	0.12
208	0.08
239/1	0.03
240/1	0.14
240/2	0.03
238/1	0.17
238/2	0.12
41/2	0.17
237/1	0.01
34/2	0.08
42	0.45
46	0.08
45/2	0.56
43/1	0.01
55	0.52
91	0.18
92/3	0.01
90	0.13
86/1	0.49
87	0.17
83	0.24
241/2	0.06
योग . .	4.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6759-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) ग्राम—बम्होड़ी, प.ह.नं.-27

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.26 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
30	0.16
31	0.06
205/1	0.15
205/5	0.27
203/1	0.70
204	0.08

(1)	(2)
202	0.20
295/1	0.04
239	0.70
240/2	0.02
240/3	0.19
262	0.28
261	0.21
258/2	0.28
251	0.33
250	0.46
252/1	0.06
235/1	0.09
319	0.25
318/4	0.30
320/1	0.17
320/2	1.16
336/1	0.38
337/2	0.50
338	0.22
योग . .	7.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6760-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) ग्राम—आमानाला, प.ह.नं.-32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—11.05 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
4	0.35
45	0.25
46/1	0.45
46/3	0.74
39	0.60
76/3	0.02
348/1	0.95
391	0.80
299	0.07
295	0.40
76/2	0.44
77	0.32
84	0.07
80	0.08
86	0.18
88/1	0.03
88/4	0.04
90/1	0.21
88/2	0.42
88/5	0.28
306	0.11
292/3	0.21
294/1	0.42
297	0.04
88/3	0.28
88/6	0.28
89	0.05
311	0.18
317/4	0.03
318/2	0.16
318/1ख	0.30
318/2ख	0.15
304	0.25
300	1.68
294/2	0.21
योग . .	11.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6761-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित

किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) ग्राम—अमोली, प.ह.नं.-33

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.82 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
72	0.28
165	0.32
78/3	0.18
78/4	0.04
160/2	0.76
161/1	0.06
163	0.04
172/1	0.42
171/1	0.43
171/2	0.16
171/3	0.13
योग . .	2.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6762-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) ग्राम—पिपरडाही, प.ह.नं.-25

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.93 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
20/2	0.14
15/1	0.22
15/2	0.08
26	0.45
27	0.08
28	0.11
30	0.07
31/2	0.02
25	0.07
24	0.48
129	0.08
130	0.38
134	0.18
127	0.37
132	0.21
349/5	0.06
349/7	0.06
363/1	0.03
131/1	0.12
131/2	0.10
135/1	0.02
149/1	0.05
135/2	0.22
149/2	0.04
139/1	0.10
139/2	0.03
137	0.13
120	0.08
138	0.21
115	0.14
114/1	0.56
193/1	0.13
247/2	0.06
194/1	0.56
349/8	0.10
363/2	0.06
349/9	0.28
194/3	0.03
248	0.28
239/3	0.02
238/1	0.07

(1)	(2)
147/1	0.15
230/2	0.10
229/2	0.09
228	0.19
224	0.14
225	0.05
238/3	0.09
222	0.18
350	0.11
349/6	0.35
योग . .	7.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6763-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—सालीवाडा, प.ह.नं.-25
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.04 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
161/1	0.80
162	0.08
163	0.45
195	0.04
164	0.40
196/1	0.17
168	0.02
166	0.06
103/1	0.70
179	0.18
190	0.17
216	0.98
121	0.42
258	0.14
196/2	0.56
120	0.04
104	0.09
119/1	0.52
119/2	0.14
119/3	0.48
119/4	0.18
101/1	0.25
102	0.05
25/3	0.12
योग . .	7.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6764-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—मल्हनवाडा, प.ह.नं.-28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.41 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
16	0.32
31/2	0.46
14	0.12
142	0.32
30/1	0.56

(1)	(2)
31/4	0.40
31/4	0.26
33	0.12
32/2	0.40
37	0.14
38	0.07
43/1	0.66
43/2	0.40
95/1	0.80
95/2	0.08
118	0.07
113	0.24
111/1	0.34
111/2	0.05
117/2	0.12
144	0.33
143	0.15
योग . .	6.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6765-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धनौरा
- (ग) ग्राम—बगहाई, प.ह.नं.-28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.31 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
65/1	0.05
99/1	0.22
99/2	0.21
99/3	0.39
65/3	0.08
99/4	0.06
65/4	0.08
99/5	0.14
65/5	0.04
99/6	0.14
73/1	0.30
73/2	0.20
36/1	0.35
32	0.46
78	0.28
85/1	0.34
72/1	0.10
75	0.23
76/1	0.04
76/2	0.19
76/3	0.03
85/2	0.21
84/1	0.25
36/2	0.21
27/2	0.13
84/2	0.21
83	0.03
33/2	0.38
49/1	0.18
43	0.03
48	0.28
47	0.03
42/1, 42/4	0.84
18	0.10
36/5	0.20
99/8	0.10
65/7	0.20
योग . .	7.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2014

क्र. C-5183-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री अशोक कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2014 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 182 दिवस (एक सौ बयासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1.	श्री अशोक कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त डिप्टी, रजिस्ट्रार (ई) उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक.	:	01-04-1977
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-07-2014
3.	नियुक्ति दिनांक से 01-04-1977: से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवाअवधि.		9 वर्ष 11 माह 08 दिन.
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवाअवधि.	:	27 वर्ष 4 माह 22 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	9 ×15=135 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	28=14×15=210 दिन.
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	345 दिन
8.	**घटाईये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	163 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	182 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-07-2014 को शेष अर्जित अवकाश 240 दिन).

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2014

क्र. D-4871-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 16 से 18 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4245-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडवानी को दिनांक 25 अप्रैल 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26 अप्रैल से 5 मई 2014 तक दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडवानी को बडवानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5160-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 21 से 24 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5164-दो-2-4-2013.—श्री आर. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 14 से 19 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 जुलाई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5162-दो-2-26-2014.—श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 30 जून से 5 जुलाई 2014 तक छः दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6 से 7 जुलाई 2014 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2014

क्र. D-4939-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 अगस्त 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 15 अगस्त 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4941-दो-2-36-2014.—श्री महेश भदकारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 11 से 13 जुलाई 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 14 से 19 जुलाई 2014 तक छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेश भदकारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश भदकारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4943-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 4 से 5 जुलाई 2014 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है. तथा दिनांक 4 से 5 जुलाई 2014 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5199-दो-2-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 25 से 28 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2014

क्र. 1049-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव, म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	देवास	देवास	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 20th August 2014

No. B-4129-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri G. P. Agrawal, Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Guna for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto of the District Headquarter Guna.

By order of the High Court,
S. S. RAGHUVANSHI, Registrar (D.E.).